कार्यालय गाजियाबाद नगर निगम

-: सार्वजनिक सूचना :-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गतः-

टॉवर लाईसेन्स संबंधी

1. उ0प्र0 नगर निगमों एवं नगर पालिका परिषदों में टॉवर स्थापना, नियन्त्रण एवं निनियमन संबंधी उपविधि बनाये जाने हेतु निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 के पत्र सं0-08/5714 दिनांक 30.06.2014 के द्वारा दिशा निर्देश दिये गये है, जिसके अनुपालन में गाजियाबाद नगर निगम सीमान्तर्गत स्थापित टॉवर स्थापना, नियन्त्रण एवं विनियमन उपविधि बनाये जाने के लिये नगर आयुक्त महोदय के निर्देश के क्रम में उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 401, 434, 452, 541 (20), (41) व (49) में प्रदत्त अधिकारों के तहत नगर निगम सीमान्तर्गत जिस कम्पनी का टॉवर स्थापित है, संबंधित कम्पनी से अंकन रू0 25,000/- प्रति टॉवर लाईसेन्स शुल्क जमा कराकर उसका लाईसेन्स निर्गत कराये जाने है तथा उपविधि तैयार किया जाना है।

केबल ऑपरेटर संबंधी

2. शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0-406/नौ-9-1997-95जनरल/1996, नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ, दिनांक 10.02.1997 के प्रस्तर सं0-04 में यह उल्लेखित है कि केबल ऑपरेटर्स द्वारा डिस्क एण्टीना लगाकर सड़कों पर लकडी के खम्भे लगाकर या नगर निगम के विद्युत पोलों पर तार लगाकर भवनस्वामियों को कनैक्शन देकर आय अर्जित की जाती है। ऐसे डिस्क एण्टीना पर भी ऑपरेटर्स द्वारा दिये गये कनैक्शनों की संख्या के आधार पर तथा वाई-फाई लगाये जाने वाली कम्पनियों से भी केबल ऑपरेटर की भॉति ही लाईसेन्स शुल्क निर्धारित किये जाने की व्यवस्था दी गयी है।

शासन के द्वारा जारी शासनादेश के क्रम में:-

(क)डिस्क ऑपरेटर्स/वाई-फाई लगाये जाने वाली कम्पनियों के द्वारा 01 एण्टीना/वाई-फाई के माध्यम से 200 कनैक्शन तक दिये जाने पर- 5000 रू0 वार्षिक लाईसेन्स शुल्क

(ख)डिस्क ऑपरेटर्स/वाई-फाई लगाये जाने वाली कम्पनियों के द्वारा 01 एण्टीना/वाई-फाई के माध्यम से 200 से अधिक कनैक्शन दिये जाने पर- 7000 रू0 वार्षिक लाईसेन्स शुल्क

उपरोक्त दोनों प्रस्तावों के संबंध में मा0 सदन की बैठक दिनांक 07.06.2022 के द्वारा सहमति व्यक्त की गयी। जिसके अनुसार नगर निगम हेतु उपविधि तैयार की जानी है।

स्मार्ट पार्किंग संबंधी

3. नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0-2, सन् 1959) की धारा 550 के साथ पठित धारा 114 की उपधारा (9-क), धारा 540 की उपधारा (1) और धारा 124 के अधीन उत्तर प्रदेश नगर निगम (पार्किंग स्थलों का निर्माण, संधारण एवं संचालन) नियमावली 2015 को शासन के द्वारा जारी शासनादेश सं0-1235/9-9-2015-221ज/13 लखनऊ दिनांक 31.12.2015 के अनुपालन में तैयार किया जाना है, जिसके अनुसार नगर निगम हेतु उपविधि तैयार की जानी है।

नामान्तरण शुल्क संबंधी

4. मा0 कार्यकारिणी के द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव सं0-181 के क्रम में यह निर्णय लिया गया कि यदि नामान्तरण की कार्यवाही हेतु आवेदनकर्ता द्वारा दस्तावेज समयान्तर्गत अर्थात 90 दिन के अन्दर प्रस्तुत नही किये जाते है तो आवेदनकर्ता को समन शुल्क/विलम्ब शुल्क के रूप में रू0 1000/- जमा करने होगे तथा नगर निगम के सम्पत्तिकर रजिस्टर में दर्ज नाम और आवेदनकर्ता के बीच में यदि कोई बैनामे उक्त सम्पत्ति का किया गया है लेकिन उनके द्वारा अपना नाम नगर निगम अभिलेखों में नियमानुसार दर्ज नही कराया गया है अथवा छूटे है तो आवेदनकर्ता को उनकी नाम-परिवर्तन शुल्क एवं विलम्ब शुल्क भी जमा करनी होगी।

ट्रेड लाईसेन्स संबंधी

5. शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0-161/सी0एम0/नौ-9-97-23ज/97, दिनांक 16.12.1997 के क्रम में नगर निकाय स्थित प्रतिष्ठानों हेतु कुछ मदों की निर्धारित दरों में संशोधन करते हुए मा0 कार्यकारिणी द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। प्रस्तावित दरों को लागू किये जाने हेतु बॉयलॉज तैयार किया जाना है।

उपरोक्त प्रस्तावित 05 बॉयलॉजों का प्रारूप नगर निगम की वेबसाईट http://ghaziabadnagarnigam.in व नोटिस बोर्ड पर अवलोकन किया जा सकता है। यदि उपरोक्त के संबंध में किसी आमजन को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर नवयुग मार्केट स्थित नगर निगम मुख्यालय के चतुर्थ तल स्थित कक्ष सं0-07 में अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर विचार नही किया जायेगा।

नगर आयुक्त
गाजियाबाद नगर निगम

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी/अपर नगर आयुक्त/नगर आयुक्त महोदय

कृपया अवगत कराना है कि उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 में दिये गये प्रांविधानों के अन्तर्गत:-

1. उ0प्र0 नगर निगमों एवं नगर पालिका परिषदों में टॉवर स्थापना, नियन्त्रण एवं विनियमन संबंधी उपविधि बनाये जाने हेतु निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 के पत्र सं0-08/5714 दिनांक 30.06.2014 के द्वारा दिशा निर्देश दिये गये है, जिसके अनुपालन में गाजियाबाद नगर निगम सीमान्तर्गत स्थापित टॉवर स्थापना, नियन्त्रण एवं विनियमन उपविधि बनाये जाने के लिये नगर आयुक्त महोदय के निर्देश के क्रम में उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 401, 434, 451, 452 व 541 (20), (41) व (49) में प्रदत्त अधिकारों के तहत नगर निगम सीमान्तर्गत जिस कम्पनी का टॉवर स्थापित है, संबंधित कम्पनी से अंकन रू0 25,000/- प्रति टॉवर लाईसेन्स शुल्क जमा कराकर उसका लाईसेन्स निर्गत कराये जाने है तथा उपविधि तैयार किया जाना है।
2. शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0-406/नौ-9-1997-95जनरल/1996, नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ, दिनांक 10.02.1997 के प्रस्तर सं0-04 में यह उल्लेखित है कि केबल ऑपरेटर्स द्वारा डिस्क एण्टीना लगाकर सडकों पर लकडी के खम्भे लगाकर या नगर निगम के विद्युत पोलों पर तार लगाकर भवनस्वामियों को कनैक्शन देकर आय अर्जित की जाती है। ऐसे डिस्क एण्टीना पर भी ऑपरेटर्स द्वारा दिये गये कनैक्शनों की संख्या के आधार पर लाईसेन्स शुल्क निर्धारित किये जाने की व्यवस्था दी गयी है। शासन के द्वारा जारी शासनादेश के क्रम में:-

(क) डिस्क ऑपरेटर्स के द्वारा 01 एण्टीना के माध्यम से 200 कनैक्शन तक दिये जाने पर - 5000 रू0 वार्षिक लाईसेन्स शुल्क

(ख) डिस्क ऑपरेटर्स के द्वारा 01 एण्टीना के माध्यम से 200 से अधिक कनैक्शन दिये जाने पर - 7000 रू0 वार्षिक लाईसेन्स शुल्क

उपरोक्त दोनों प्रस्तावों के संबंध में मा0 सदन की बैठक दिनांक 07.06.2022 के द्वारा सहमति व्यक्त की गयी, जिसके अनुसार नगर निगम हेतु उपविधि तैयार की जानी है।

3. नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0-2, सन् 1959) की धारा 550 के साथ पठित धारा 114 की उपधारा (9-क), धारा 540 की उपधारा (1) और धारा 124 के अधीन उत्तर प्रदेश नगर निगम (पार्किंग स्थलों का निर्माण, संधारण एवं संचालन) नियमावली 2015 को शासन के द्वारा जारी शासनादेश सं0-1235/9-9-2015-221ज/13 लखनऊ दिनांक 31.12.2015 के अनुपालन में तैयार किया जाना है, जिसके अनुसार नगर निगम हेतु उपविधि तैयार की जानी है।
4. मा0 कार्यकारिणी के द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव सं0-181 के क्रम में यह निर्णय लिया गया कि यदि नामान्तरण की कार्यवाही हेतु आवेदनकर्ता द्वारा दस्तावेज समयान्तर्गत अर्थात 90 दिन के अन्दर प्रस्तुत नही किये जाते है तो आवेदनकर्ता को समन शुल्क/विलम्ब शुल्क के रूप में रू0 1000/- जमा करने होगे तथा नगर निगम के सम्पत्तिकर रजिस्टर में दर्ज नाम और आवेदनकर्ता के बीच में यदि कोई बैनामे उक्त सम्पत्ति का किया गया है लेकिन उनके द्वारा अपना नाम नगर निगम अभिलेखों में नियमानुसार दर्ज नही कराया गया है अथवा छूटे है तो आवेदनकर्ता को उनकी नाम-परिवर्तन शुल्क एवं विलम्ब शुल्क भी जमा करनी होगी।

5. शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0-161/सी0एम0/नौ-9-97-23ज/97, दिनांक 16.12.1997 के क्रम में नगर निकाय स्थित प्रतिष्ठानों हेतु निर्धारित दरों में संशोधन करते हुए मा0 कार्यकारिणी द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव सं0-182 में नीचे दी गयी तालिका में निम्न प्रतिष्ठानों की निर्धारित दरों में निम्नानुसार संशोधित करते हुए प्रस्तावित दरों को लागू किये जाने का निर्णय लिया गया।

क्रम	मद का नाम	निर्धारित दरें	प्रस्तावित दरें
1	होटल लॉजिंग, गैस्ट हाउस तथा बारात घर	1000	3000
2	नर्सिंग होम "20 बैड तक"	2000	5000
3	नर्सिंग होम "20 बैड से ऊपर"	5000	6000
4	प्राईवेट क्लीनिक	3000	4000
5	एरिएटेड वाटर, कोल्ड ड्रिंक फुटकर विक्रय	---	1500

उपरोक्त के अतिरिक्त पैथोलॉजी का प्रति शाखा अंकन रू0 2000/-, फाईनेन्स कम्पनी/चिट फण्ड की प्रति शाखा अंकन रू0 12000/-, बार/बियर प्रति शाखा अंकन रू0 12000/-, देशी शराब प्रति शाखा अंकन रू0 12000/- तथा विदेशी शराब प्रति दुकान अंकन रू0 24000/- ट्रेड लाईसेन्स के रूप में वसूली किये जाने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू किये जाने है।

उपरोक्त समस्त प्रस्तावित बॉयलॉज तैयार किये जा चुके है, जिनका दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराकर आपत्तियॉं आमन्त्रित की जानी है कि उपरोक्त के संबंध में यदि किसी आमजन को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर नवयुग मार्केट स्थित नगर निगम मुख्यालय के चतुर्थ तल स्थित कक्ष सं0-07 में अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है।

अतः उपरोक्त समस्त बॉयलॉजों का नगर में परिचालित दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराये जाने हेतु समाचार पत्र का नाम निर्दिष्ट करने का कष्ट करें।

24/06/2022
लिपिक

22-6-22
(डा0 संजीव कुमार)
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी
गाजियाबाद नगर निगम

1. हिन्दुस्तान
2. दैनिक दुनिया

NP